राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/ दिनांकः

2491-K
17.01.2022

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
रामबाग सर्किल, टोंक रोड,
जयपुर।

विषयः–राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको माध्यम से दिनांक 01.01.2022 से पेंशन भुगतान बंद कर राज्य सरकार केन्द्रीककृत पेंशन भुगतान प्रणाली से रिजर्व बैंक के ई–कुबेर सॉफ्टवेयर से पेंशन भुगतान करने बाबत्।

सन्दर्भः–वित्त (पेंशन) विभाग राजस्थान सरकार क्रमांक प.10 (11) वित्त/राजस्व/ 2015 लूज दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पत्र क्रमांक 1873–K दिनांक 23.12.2021 द्वारा आपको अवगत किया गया था कि माह नवम्बर 2021 देय माह दिसम्बर 2021 तक की पेंशन का भुगतान राज्य के पेंशनर्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशन बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इण्डियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि का पुर्नभरण किया जाता था। अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार पेंशन वितरण का कार्य बैंको की मध्यस्थता समाप्त करते हुए पे–मैनेजर से किया जावेगा। वित्त (पेंशन) विभाग राज. सरकार के आदेश क्रमांक प.10(11)वित्त/राजस्व/2015 लूज दिनांक 13.01.2022 से प्राप्त निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनर्स को पूरे भारत देश में सभी सेड्यूल 19 बैंको में उनके द्वारा धारित खातों में एकीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्तर से उक्त कार्य में सहयोग करने हेतु सभी सेड्यूल बैंको को आवश्यक निर्देश जारी कर अनुग्रहित करावें कि यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा किसी पेंशनर के खाते में सहवन से अधिक राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो उसकी वसूली में बैंको का सक्रिय सहयोग मिल सके।

भवदीय,

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/303